विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

सलाम, जगदीप छोकर साहब

दिनांक 12 सितंबर 2025 को प्रोफेसर जगदीप छोकर 81 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गए। पाठकों में से संभवतया कई इस नाम से अपरिचित होंगे और यह सोच रहे होंगे कि मैं इन पर संपादकीय स्तंभ क्यों लिख रहा हूं?

इसलिए, पहले उनके जीवन के बारे में जानकारी देना उपयुक्त होगा। जगदीप छोकर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और भारतीय रेल में कुछ समय तक नौकरी की। इन्होंने इसके बाद व्यवहार संगठन विषय में अमेरिका से एम बी ए और पीएचडी की । इसके बाद वे शैक्षिक जगत में आ गए और 1985 से 2006 तक आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर रहे । इनके चयन के पीछे की कहानी है कि आई आई एम, अहमदाबाद के तत्कालीन निदेशक आईजी पटेल, ने उन्हें संदेश भेजा कि वे साक्षात्कार के लिए आएं। उन्होंने उत्तर भेजा कि उन्हें उसी होटल में ठहराया जाए जिसमें पटेल ठहरे हुए हैं एवं उसी श्रेणी का विमान यात्रा का किराया दिया जाए जिसमें पटेल यात्रा करते हैं। छोकर का आत्मविश्वास और स्वाभिमान देखकर उन्हें बिना साक्षात्कार के ही आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। सन् 2005 में उन्हें आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक पद का प्रस्ताव दिया गया, किंतु इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। वे कुछ समय तक आई आई एम अहमदाबाद के कार्यवाहक निदेशक अवश्य रहे ।

अहमदाबाद में काम करते हुए छोकर और उनके साथियों ने महसूस किया कि राजनीति में पारदर्शिता का नितांत अभाव है तथा मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है । इस बारे में किसी की जवाबदेही भी नहीं थी ।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने 1999 में अपने 10 अन्य साथियों के साथ एक संगठन ए डी आर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की स्थापना की। इस संस्था ने जगदीप छोकर के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गुजरात चुनाव में सभी उम्मीदवारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर मतदाताओं को उपलब्ध कराई। उस समय, उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता एवं उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी किसी को प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए, मतदाताओं के लिए अपने क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवारों का चयन करना कठिन होता था।

इसके लिए छोकर ने ए डी आर के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कानूनी जानकारी में दक्षता प्राप्त करने के लिए उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से रिटायरमेंट से पहले कानून की पढ़ाई भी की और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वे सर्वोच्च न्यायालय से यह आदेश प्राप्त करने में सफल रहे कि उम्मीदवारों के सम्बन्ध में कई आवश्यक जानकारियां नामांकन दाखिल करते समय मांगी जाएं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सन् 2004 के चुनाव से निर्वाचन आयोग ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नामांकन प्रस्तुत करते समय संबंधित उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र के साथ में अपनी शैक्षिक योग्यता, परिवार की संपत्ति एवं उनके विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया । चुनाव में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम था। यह सब केवल एक व्यक्ति के अनवरत संघर्ष और प्रयास का ही फल था, और उस व्यक्ति का नाम था जगदीश छोकर।

आज प्रत्येक उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, परिवार की संपत्ति और उसके विरुद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। छोकर ने ए डी आर के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विश्लेषण करके उसे सरल रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी से यह पता लगा कि संसद में लगभग 22 प्रतिशत ऐसे सांसद हैं जिनके विरुद्ध दो वर्ष से अधिक की सजा वाले आपराधिक मुकदमे लंबित हैं । उन्होंने यह भी विश्लेषण किया कि किस उम्मीदवार की संपत्ति पिछले चुनाव की तुलना में कितनी बढ़ गई है? जगदीप छोकर निरंतर लोकतंत्र को मजबूत बनाने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के अपने काम में लगे रहे। कभी न्यायालय में विभिन्न प्रकार की याचिका दायर करके तो कभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज में जागृति पैदा करके, लगातार इस कोशिश में लग रहे कि हमारे चुनाव में पारदर्शिता और ईमानदारी हो।

जगदीप छोकर के निधन से हुआ रिक्त स्थान लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। उनकी कमी उन सभी लोगों को अखरेगी जो चुनाव व्यवस्था को शुद्ध और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। जब भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात होगी तो जगदीप छोकर का जिक्र सबसे पहले आएगा । उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयास को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई छोकर चाहिएं। दूसरा जगदीश छोकर शायद शीघ्र हमें न मिले। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम को अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि राजनीति और चुनाव में अधिक शुचिता और ईमानदारी आ सके।

ये प्रत्येक चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों से संबंधित ब्यौरा विभिन्न संचार माध्यम से जनता के सामने लाते रहे। किन उम्मीदवारों के विरुद्ध कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, किसकी कितनी संपत्ति है और किसकी संपत्ति किस गति से बढ़ रही है ? यों कहें कि मतदाताओं को अपना निर्णय लेने के लिए सारी आवश्यक सूचना प्रदान करने का काम इस व्यक्ति ने किया।

इन्होंने प्रत्येक राजनीतिक दल के लेखों का भी परीक्षण किया और जनता के सामने लाए कि किस दल को कितना पैसा मिला और उन्होंने उसका किस प्रकार से उपयोग किया? इलेक्टोरल बांड योजना के संबंध में भी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में छोकर में ही प्रस्तुत की जिसे अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक मानकर निरस्त किया गया।

हाल ही जो याचिका बिहार में एसआई आर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, उसमें भी पहले याचिका कर्ता जगदीश छोकर थे। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया कि जब किसी मतदाता या राजनीतिक दल ने कोई विरोध नहीं किया है तो, ए डी आर जैसी संस्था दिल्ली में बैठकर 'डाटा माइनिंग' कर रही है, जो सही नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति की लगन ही थी कि जो आंकड़े चुनाव आयोग से ही उपलब्ध होते हैं, उनका विभिन्न प्रकार से विश्लेषण करके उन्हें इस रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया कि वह समझ सके और तय कर सके कि कौन सा उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व ठीक तरह से कर पाएगा ?

इन्होंने आई आई एम अहमदाबाद से सेवानिवृत होने के बाद लगातार यह काम अपने स्वयं के पैसे से किया, किसी काम के लिए कोई पैसा किसी से नहीं लिया । लोकतंत्र और राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए अनवरत काम करने वाला ऐसा व्यक्ति आज के युग में शायद ही कोई मिले। जगदीप छोकर की विशेषता यह भी थी उन्होंने अपने आप को कभी आगे नहीं रखा बल्कि अपने द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से ही वे जनता तक अपनी बात पहुंचाते रहे। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि इस प्रकार के अपराधिक पृष्ठ भूमि के व्यक्ति कैसे चुनाव में जीत जाते हैं तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे लोगों की पसंद नहीं होते । उम्मीदवार, राजनीतिक दल तय करते हैं न कि जनता।

चुनाव आयोग ने जब कोई जानकारी लोगों तक पहुंचाने में आनाकानी की तो उन्होंने न्यायपालिका का सहारा लिया ।

जगदीप छोकर बहु आयामी के व्यक्तित्व के धनी थे । उन्होंने पक्षी विज्ञान में डिप्लोमा भी किया।

वे अपनी बात बड़ी बेबाकी और स्पष्टता के साथ कहते थे। विभिन्न टीवी साक्षात्कारों में उन्होंने अपनी बात को सदैव पूरे आंकड़ों के विश्लेषण के साथ रखा। आज के युग में जहां सभी व्यक्ति केवल अपने ही बारे में चिंतित रहते हैं, वहां जगदीप छोकर ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा जीवन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी और जवाबदेही, सुनिश्चित करने में खपा दिया ।

जगदीप छोकर के निधन से हुआ रिक्त स्थान लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। उनकी कमी उन सभी लोगों को अखरेगी जो चुनाव व्यवस्था को शुद्ध और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। जब भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात होगी तो जगदीप छोकर का जिक्र सबसे पहले आएगा ।

उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयास को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई छोकर चाहिएं। दूसरा जगदीश छोकर शायद शीघ्र हमें न मिले। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम को अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि राजनीति और चुनाव में अधिक शुचिता और ईमानदारी आ सके।

सलाम, छोकर साहब!

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

कृषि विश्वविद्यालयों के भविष्य के लिए राजस्थान सरकार क्या योजना रखती है, विखंडन या उन्नयन?

वीर बहादुर सिंह

एक कृषि विश्वविद्यालय को विखंडित कर पांच बना देने से शिक्षा और अनुसन्धान में गुणवत्ता नहीं बढ़ती और न ही संस्थानों में पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के आकर्षक भवन और उनमे खरीदकर रखी अनेक महंगी पुस्तकें, रिसर्च जर्नल्स और प्रयोगशाला में सजे महंगे उपकरण किसी भी प्रकार से शिक्षा और अनुसन्धान की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाते यह सर्वविदित है।

विज्ञान में कहावत है कि यदि किसी स्थूल पदार्थ को पहले छोटे-छोटे और फिर उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कणों तक बिखंडित किया जाय तो एक अदृश्य अणु प्राप्त होता है जो स्थूल अथवा भौतिक पदार्थ से सर्वथा भिन्न तो होता ही है अपितु स्थूल पदार्थ से अनेक भौतिक और रासायनिक गुणों में भी भिन्न होता है। ऐसा ही कुछ प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सरकार ने विगत वर्षों में किया है। मेरी अभी तक समझ नहीं आया कि राजस्थान प्रदेश की जो भी सरकारें आजादी के बाद बनी उन्हें सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से कृषि विश्व विद्यालय के औचित्य के बारे में कभी ठीक से बोध ही नहीं हो पाया। अब तो कई दशक बीत गए लेकिन एक उचित बोध किसी के मस्तिष्क में अभी तक नहीं पनप सका है।

मेरा मानना है यह प्रदेश भेड़, ऊँट, बाजरा और मक्की तक ही अपनी सोच रखता था उसके आगे नहीं। अतः कृषि के बारे में एक बृहत सोच की परिकल्पना करना युक्तसंगत नहीं रहा। फिर भारतीय परिवेश में ऐसे अनेक समुदाय हैं जो पीढ़ीओं पुरानी अपनी परम्पराओं से इतने गहरे आबद्ध हैं कि उन्हें उस परिवेश में ही परम संतुष्टि मिलती है, शायद प्रदेश के लोगों की भी ऐसी ही मनोदशा है। उससे परे वे निकलना ही नहीं चाहते। विकास से भी वे आबद्ध नहीं होना चाहते लेकिन उसका भोग करने को आतुर रहते हैं।

वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का सूत्र पात हुआ था जिसके कारण देश में आज खाद्यान उत्पादन में देश आत्मनिर्भर होकर सरप्लस में है। पहले अमेरिका से पीएळ 480 योजना के अंतर्गत लाल रंग का गेंहूं हम भारतीओं को सरकार खाने के लिए राशन की दुकानों से उपलब्ध करवाती थी। अनाज लेने के लिए लोग घंटों लाइन में लगकर अनाज ले पाते थे। आज स्थिति बिलकुल उलट चुकी है यह स्तिथि कैसे आई पिछली कुछ सरकारों ने इस पर मनन किया? अनाज उत्पादन में तो देश आत्मनिर्भर बना ही अन्य उत्पादन जैसे शक्कर, दूध, अंडे, मांस-मछली, विभिन्न तेल, कपास, आदि में भी देश काफी संतोषप्रद उत्पादन कर रहा है। यह सब और इससे सम्बंधित उत्पाद कृषि शिक्षा व् सतत अनुसन्धान और उत्तम बीजों के विकसित करने से संभव हो सका है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसमें अपने कठोर परिश्रम और लगन से देश को वर्तमान स्थिति तक पहुँचाया है। सचिवालयों में बैठे प्रसाशनिक अधिकारी, जन प्रतिनिधि व मंत्री और मुख्यमंत्री संभवतः इस मूल सच्चाई से लगभग ढाई दशक से अनभिज्ञ हैं, और यह प्रभाव पीड़िओं के अंतराल से उत्पन्न और अधिक चौड़ा हुआ है जिसके परिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगे हैं। कृषि शिक्षा और अनुसन्धान लगभग ढाई दसक से अधोगति की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, कुछ ही समय बाद पहले जो ढांचा खड़ा किया था वह अणुओं में बिखर अदृश्य हो जायेगा। और फिर स्वामीनाथन और वर्गीज़ सरीखे वैज्ञानिक पुनः कृषि उत्थान के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। देश के प्रधान मंत्री चहुमुखी किसान और कृषि विकास के पक्षधर हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि प्रदेश की सरकारें कृषि विकास शिक्षा में अवरोध डालने के लिए कैसे मायावी ताने वाने बुनती रहती हैं ?

राजस्थान सरकार किसी संसाधन को निर्मित करने के लिए नक़ल करने को तो आतुर रहती है लेकिन उसके उपरांत निष्क्रिय हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रदेश में कृषि विकास को गति प्रदान करने वास्ते कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने बावत। उत्तरप्रदेश पंतनगर (अब उत्तराखंड) में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बनने के बाद ही राजस्थान के उदयपुर में भी वर्ष 1962 में दूसरा कृषि विश्व विद्यालय बना था जो अल्प समय में ही राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया और सब भविष्य के गर्त में समा गया। तब से फिर वर्ष 1987 में पृथक कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में विदेशी कर्ज लेकर बनाया जा सका। इससे ढांचागत सुविधा तो बना ली गई परतु आगे फिर सरकारी अफसरों की नसमझी से उसका विकास पल्लिवत नहीं हो सका, फलस्वरूप गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा और अनुसन्धान अहिरावण की गिरफ्त में चले गए। विगत वर्षों से कोई हनुमान प्रदेश में पैदा नही हुआ जो तारणहार बनता।

सरकार ने बीकानेर स्थिति विश्व विद्यालय को कुछ वर्षों बाद ही विभाजित कर चार और कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जोबनेर में बना दिए। ये सभी संस्थान भवनों में भले ही पूर्ण होते हों अन्य सुविधाओं यथा वांछित कृषि शिक्षक या विषय विशेषज्ञ व अनुसन्धान कर्ता संख्या में अभी पिछड़े तो हैं ही सभी अपने स्वरूपों के विखंडन का सरकारी इन्तजार भी कर रहे हैं। विखंडन पश्चात् इनके बचे स्वरूपों की क्या उपयोगिता होगी ये भविष्य बताएगा? कोई जांच एजेंसी वर्ष 2001-2 में उपलब्ध अनुमोदित वैज्ञानिकों की संख्या का आज मौजूद संख्या से मिलान करे तो किसी स्पष्टीकरण की जरुरत नहीं पड़ेगी सब कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा और कर्णधार तब जबाव देने से मुंह छिपाते दिखेंगे।

सरकार ने जब-जब कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में खोले, घोषणा पश्चात् सरकार ने एक तदर्थ कुलपति की नियुक्ति कर दी साथ ही सचिवालय ने एक एक्ट और उसके साथ कतिपय मोटे मोटे उपनियम (स्टटयूटस) बनाकर गजट में नोटिफिकेशन करवा कर विधिबत सञ्चालन आरम्भ करवा दिया। बाद का कार्य फिर कुलपति, सरकार व् अन्य के सहयोग से करता रहा है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई एवं अनुसन्धान के लिए वांछित विषय वैज्ञानिकों के पद सरकार सृजित कर कुलपति को उन पर उपयुक्त नियुक्ति करने का निर्देश देती है। इस प्रकार एक महाविद्यालय में डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों के न्यूनतम तीन से चार लोग हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, कृषि स्नातक कक्षाओं में अनेक मेजर और माइनर विषय पढ़ाने को होते हैं जैसे एग्रोनोमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, मृदा विज्ञान, पशुपालन व डेरी, फार्म प्रवंधन और कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यकी, प्रसार शिक्षा आदि। फिर अन्य संकाय यथा, कृषि अभियांत्रिकी, डेरी और खाद्य प्रौद्योगिकी, मतस्य पालन विज्ञान, होम साइंस, आदि के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए दर्जनों वैज्ञानिकों/ विषय विशेषज्ञों की जरुरत हो जाती है कियोंकि लगभग 45 से पचास विषय 8 सेमेस्टर में पढ़ाने की बाध्यता डिग्री के लिए होती है। इसलिए हर मेजर विषय को पढ़ाने तीन से चार विषय विशेषज्ञों की जरुरत होती है।

एक सेमेस्टर में छात्र को पांच या छः उपविषय चुनने होते हैं फलस्वरूप प्रति सप्ताह उसे हर प्रश्नपत्र के लिए पांच से छः घंटे पढ़ाई करनी होती है। सेमेस्टर के यदि पांच उपविषय निर्धारित हैं तो प्रति सप्ताह 32 से 40 कालांश उसको विशेषज्ञ पढ़ाते हैं। इससे अधिक भार न तो छात्र वहन कर सकता है और न ही विषय विशेषज्ञ पढ़ा सकता है। इन्ही आधारों पर पढ़ाई का कुल भार का आंकलन किया जाता है। और इसी भार पर अध्यापकों की मांग की गड़ना और स्वीकृति सरकार प्रदान करती है जिस पर कुलपति नियुक्तियाँ करते हैं। सरकार सोचती है कि विश्व विद्यालय में अध्यापक अधिक है जबकि संस्था प्रधान सदैव कमी का रोना रोते रहते हैं। तो क्यों नहीं सरकार के तथाकतिथ बुद्धिमान सचिव और संस्था के अधिष्ठाता मिलकर भार के अनुरूप स्टाफ की सख्या का आंकलन करते हैं। यदि कोई भी पक्ष इस पर अपनी बेरुखी दिखाता है तो समझा जाना चाहिए कि वह शिक्षा के प्रति वफादार नहीं हैं। इस आधार पर सरकार ने कभी कोई आंकलन न तो किया और न करवाया। फिर अध्यापकों की मांग और आपूर्ति पर सामन्जस्य कैसे बैठे ?

इस समस्या समाधान के लिए जब तक सरकार अपना लंगोट बांधती है तब तक एक सेमेस्टर बिना पढ़ाये बीत जाता है, और छात्र भले ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायँ कृषि अनुसन्धान परिषद् के नेट पर उपलब्ध नोट्स पढ़कर, गुणवत्ता में वह टीचर द्वारा पढ़ाये हुए की बराबरी नहीं कर सकता। यह बात अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने कही जो अखवारों की सुर्खियां भी बनी। यह पहला अवसर है जब मैंने किसी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से यह स्वीकारोक्ति करते सुना हों। उन्होंने कहा कि हज़ार लाइब्रेरी भी एक टीचर की बराबरी नहीं कर सकती।

मुख्यमंत्री के सार्वजानिक कथन से प्रेरित होकर और कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुरोध पर ही मैंनें यह लेख लिखने का मानस बनाया। मुझे अब कहने में बिलकुल भी संकोच नहीं कि प्रदेश की कृषि शिक्षा की गुणवत्ता का बंटाधार और अवनति के लिए प्रदेश की पूर्व की कोंग्रेसी और बीजेपी सरकारें एक के बाद एक पूर्णरूप से दोषी हैं। आगे भविष्य बताएगा जब करोड़ों के उपकरण भी धूल चाटकर और जंग खाकर बिना उपयोग में लिए कवाड़ में बिकेंगे। उन सबकी खरीद पर काफी व्यय सरकार, कृषि अनुसन्धान परिषद् और विश्व बैंक कोष से अनुदान स्वरुप मिला धन खर्च हुआ है। सब व्यर्थ हो गया बीस पच्चीस वर्षों में। धन के अपव्यय की ऐसी मिसाल इस प्रदेश में ही मिलती है अन्य जगह नहीं। इसका मूल कारण जवावदेही की कमी। हम सरकार में बिराजमान सुप्रीम सचिवों को तो जवाब देह ठहरा नहीं सकते भले ही वे किसी मसले पर अनुमति देर से दें या बिलकुल न दें? विश्वविद्यालय भवनों से नहीं चलते वे ज्ञानी और अनुभवी विषय विशेषज्ञों से संचालित होते हैं और विश्वविद्यालय भी चापलूसी से नियुक्त कुलपति और वैज्ञानिकों से भी नहीं चला करते उनके लिए विद्वान्, कर्मठ और ईमानदार लोग ही सही संचालन कर सकते हैं।

बड़ी विडम्बना एक और है कि छात्र वर्ग अब निर्विचार हो चुका है उसे कोई मतलब नहीं कुछ भी होता रहे जबकि उसके अधिकारों पर यह सीधा कुठारा घात है। उसे तो बस डिग्री मिलनी चाहिए जो उसे वर्तमान में मिल ही जाती है। लगभग पांच दसक पूर्व बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र और युवाओं के सहयोग से देश में भूचाल ला दिया था यह विदित ही है। तब के एक रेल मंत्री ने भी ऐसा चक्का जाम किया था कि स्टेशन पर डिब्बे और इंजन भी नदारद हो गए थे और स्टेशन लगता सम शान स्थल। अब वो लीडरशिप कहाँ है खाना तो वही है आबोहवा भी वही फिर अपना भला बुरा देखने की प्रवति का लोप हमारे युवाओं में क्यों हो गया? उनकी शिक्षा पर व्यय माता-पिता करते हैं फिर वे भी सब उदासीन ?

कृषि शिक्षा व अनुसन्धान के गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में नियमानुसार दो कमेटी यथा डिपार्टमेंट समिति ,बोर्ड ऑफ़ स्टडीज समिति या कोर्स समिति होती हैं वैसे तो इनमे सदस्यता निर्धारित है परन्तु विभागाध्यक्ष के निर्देश पर सभी लोग इनमे भाग लेते हैं। यही वो जगह है जहाँ विषय पढ़ाने पर आयी किसी भी बाधा पर सभी दृष्टिओं से संवाद होकर हल निकाला जाकर सुचारु पढ़ाई संभव होती है। वर्तमान में जब वांछित संख्या में विषयवार विशेषज्ञ ही न हों तो फिर न तो कोई समिति संभव है और न कोई सम्बाद। लिहाजा विषय की पढ़ाई जैसे तैसे लचर-पचर चलती रहती है। पढ़ाने वाले ने जैसा संभव बन पडा पढ़ा दिया, गुणवत्ता बढ़ाने की कोई संभावना नहीं रहती। उपरोक्त समितियां होते हुए छोटे अनुसन्धान के लिए भी सम्बाद कर कुछ रिसर्च भी सम्पादित संभव हो जाती है। और कभी बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला बनाकर उनके लिए वांछित आर्थिक मदद के लिए किसी बड़ी संस्था को अग्रेषित कर दिए जाते हैं। ध्यान रहे विभाग के स्थाई वैज्ञानिक ही इस कार्य को संपन्न करने के योग्य माने जाते हैं। इसलिए एक विभाग उन्नति के लिए ऐसे काम करता है जैसे फौज में सिपाही अपनी यूनिट के लिए। इसलिए शिक्षकों की सख्या में अपार कमी से संस्था के सञ्चालन हेतु बने एक्ट आदि नियमावली के प्रावधान स्वतः राज्य सरकार के हाथ अपास्त हो चुके हैं।

सड़क से बटोरे शिक्षकों से ऐसी सब अपेक्षायें नहीं की जा सकती कि वे विभिन्न समितिओं के सदस्य के रूप में छात्रों के लिए कोई निर्णय करें इसके लिए नियमों में भी कोई प्रावधान नहीं है ऐसे टीचर वास्तव में विश्व विद्यालय पर एहसान करते हैं जिससे संस्था को कहने को होजाता है कि छात्रों की पढ़ाई ठीक से जारी है। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी स्तर पर अकादमिक कौंसिल भी होती है जिसमे अक्रॉस फैकल्टी विभिन्न संकाय / विषयों के सदस्य होते हैं कुछ विषय विशेषज्ञ अन्य संस्थानों से भी नामित किये जाते हैं ताकि उनके अनुभव का लाभ भी प्राप्त हो सके। अकादमिक उन्नयन के लिए ये तीन समीतिआं आवश्यक समझी गई हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों के बिगाड़े गए संतुलन से विश्व विद्यालय इन समितिओं के कार्य को कैसे सम्पादित कराते हैं? यह जांच का मुद्दा है।

शिक्षा के सुचारु प्रवंधन के लिए संस्था हेड की नियुक्ति कुलपति बिना किसी नियम कायदों के करते हैं स्वाभाविक है ऐसे में जिस प्रकार सरकार कुलपति नियुक्त करती है, कुलपति भी अपने स्वंय के विवेक से महाविद्यालय अधिष्ठाता और निदेशक अनुसन्धान व् निदेशक प्रसार शिक्षा और विभागाध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं यह सब वांछित और अनुमोदित योग्यताओं की अनदेखी कर संपन्न होता है।

कुछ भी हो, नियम कायदे और योग्यता अनुभव को दरकिनार कर जब ऐसे कार्य किसी शिक्षा संस्थान में होते हैं तो संशय शंकाएं और स्टाफ में असहयोग बलवती होने लगता है और परणिति आखिर में बताता चलू कि कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा कृषि विश्व विध्व्लयों के लिए मानक प्रमाणिकता (एक्रीडिटेशन) की बाध्यता आज थोथी बन चुकी है वर्तमान स्तिथि में इसका औचित्य प्रश्नात्मक है। विश्व् विद्यालय स्तर पर ऐसी मानक वाध्यता स्नातकोत्तर विषय पढ़ाने के लिए भी होती है जिसे विश्व विद्यालय की पी.जी. कौंसिल विशेषज्ञ की योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रदान करती है। जिससे व्यक्ति स्नातकोत्तर कक्षाएं पढ़ाने के लिए अनुमोदित होता है। काफी कुछ पक्ष कृषि शिक्षा संस्थानों में व्याप्त मसलों पर मैंनें वर्णित कर दिए हैं, जिन्हें समय रहते सरकारी और विश्वविद्यालय स्तर पर सुधारना आवश्यक है। सरकार यदि अपना दृष्टिकोण बदलने में सक्षम नहीं है तो अन्य विकल्प, कृषि शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को बजट सहित हस्तांतरित कर दे, इसी में प्रदेश की भलाई है।

मनन करें, विचारें, साथिओं से सम्बाद करें और यदि आप उपरोक्त कथन से सहमत हैं तो और क्या और कैसे किया जा सकता है? ध्यान रहे सभी कुछ सरकार पर छोड़ने की अपेक्षा सरकार को देश हित और कृषि शिक्षा हित के लिए उचित तरीके से बाध्य करना और उत्तरदायी बनाना हम सब का उत्तरदायुत्व है।

–प्रो. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान

बोराज गांव में फिर पैंथर का आतंक, ग्रामीणों में दहशत

- **पैंथर ने बाड़े में घुस कर गौवंश को शिकार बनाया, ग्रामीणों के शोर मचाने पर पहाड़ों की ओर भाग गया**
- **ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की**

अजमेर, (कासं)। वरुण सागर स्थित बोराज गांव में एक बार फिर पैंथर का आतंक नजर आया। रविवार देर रात पैंथर ने बाड़े में घुसकर गौवंश को अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर पैंथर पास के पहाड़ों की ओर भाग गया, लेकिन गांव में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने सोमवार को वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है।

ग्रामीण गामा रावत ने बताया कि रविवार देर रात बोराज गांव में लेपर्ड एक घर के पीछे बाड़े में घुस गया था। लेपर्ड ने वहां पर बकरी और गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। हमले में गाय के बछड़े दम तोड दिया। जानवरों की आवाज सुनकर ग्रामीण नींद से जाग गये और उन्होंने देखा कि पैंथर गाय के बछड़े को खा रहा था। ग्रामीणों की आवाज सुनकर पैंथर वहां से भाग गया। ग्रामीणों ने बताया कि गाय ने एक माह पहले ही बछड़े को जन्म दिया था। पैंथर के हमले में बछड़े की मौत हो गई। सुबह तक गाय बछड़े के पास खड़ी रही और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। बछड़े के शरीर पर पैंथर के पंजों के निशान नजर आ रहे हैं।

नवयुवक मंडल अध्यक्ष गामा रावत ने बताया कि पैंथर की हलचल गांव के आसपास लंबे समय से बनी हुई है। गत दिनों भी चामुंडा माता मंदिर के पास ग्रामीण लाखन सिंह पुत्र मोहन सिंह के जानवरों को पैंथर ने अपना शिकार बनाया था। उन्होंने वन विभाग से पिंजरा लगाने और पैंथर को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र पैंथर का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। रात के समय वह अक्सर गांव में घुस आता है। इससे गांव के पशुपालक और किसान दहशत में हैं। पैंथर मूवमेंट की वन विभाग को सूचना दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते वन विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाए तो बड़े हादसे की आशंका बनी रहेगी।

अवैध बजरी खनन व परिवहन जारी, प्रशासन मौन

बौंली/बामनवास, (निसं)। क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी अवैध बजरी खनन व परिवहन बेधड़क चल रहा है। क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्ग व ग्रामीण सड़कों पर बजरी से भरे डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली व छोटे ट्रक हर समय दौड़ते नजर आते हैं, इनके कारण अनेकों दुर्घटनाओं में लोग जान गवा चुके हैं

गौरतलब है कि सबसे बड़ी बात यह है बौंली नगर के मुख्य सड़क मार्ग निवाई, बौंली व लालसोट मार्ग पर पुलिस थाने के सामने से अवैध बजरी के वाहन निकालते रहते हैं, उनको नगरवासी तो देखते हैं, लेकिन पुलिस की नजर ही नहीं पड़ती, कुछ बजरी माफिया तो जब यह अवैध बजरी से भरे ओवरलोड वाहन निकलते हैं तो मेन रोड लाइट को ही बंद कर देते हैं। वहीं रात्रि के समय में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिलर नंबर 258.5 पर बजरी माफियाओं ने फिर से अपना अखाड़ा जमा लिया है। कुछ दिनों पूर्व ही यहां पर एक सड़क दुर्घटना में पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया था, फिर भी पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बौंली पुलिस ने 14 व 15 सितंबर को कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है।

पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि उप निरीक्षक राजेंद्र गिरी, हैड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह व हैड कांस्टेबल सुनील दत्त के नेतृत्व में गठित अलग-अलग तीन टीमों ने रामदेव तिराहा के पास खिरनी व ग्राम बहनौली, पीपलवाड़ाव चांदा की झोपड़ियां से दबिश देकर अवैध बजरी खनन व परिवहन करते तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त किया है। चालक व मलिक पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 16 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 6:46 तक, वारियान योग रात्रि 12:34 तक, वणिज करण दिन 12:57 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:29 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरू-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से प्रातः 6:46 तक है। कुमार योग प्रातः 6:46 से आरम्भ होगा। आज भद्रा दिन 12:57 से रात्रि 12:23 तक है। आज आश्विन संक्रांति, सूर्य कन्या में रात्रि 1:47 पर प्रवेश करेगा। आज दशमी का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:19 से 10:50 तक, लाभ-अमृत 10:50 से 1:53 तक, शुभ 3:25 से 4:36 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 6:27

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/भाई-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आज मानसिक तनाव नहीं रहेगा। मनःस्थिति में सुधार होगा।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। मन में असंतोष और भय बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

तुला
नवीन कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यक्तिगत खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मीन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।